ायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

सीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

रण सख्या:—005 / 2022 दायर दिनांक:—23.02.2022

जीसीएमएस नं. 2022 / 65

गिल्लोराम बैनीवाल उम्र 70 साल पुत्र श्री जौहरीराम जाति जाट निवासी गुढापोल तहसील सूरौठ जिला करौली

———प्रार्थीगण

बनाम

ण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली।

———अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड

उपस्थितः— 1. श्री रामखिलाडी सैनी वकील प्रार्थीगण

2. श्री पेरोकार सरकार अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 20-1-25

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का प्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी / सायल के कब्जाकाश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 296 रकवा 0.95 हे०, बाके ग्राम गुढापोल, तहसील ठ, जिला करौली में स्थित है। उक्त आराजी के सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी रिकॉर्डेड दार काश्तकार है।

प्रार्थी / सायल के समस्त दस्तावेजो में यथा परिवार राशन कार्ड, पहचान पत्र, णक दस्तावेज, सैकेण्ड्री की मार्कशीट, आधार कार्ड, राजकीय सेवा के दस्तावेज र्थी के अन्य खातेदारी की भूमि में, प्रार्थी के पिता का नाम जौहरीराम दर्ज है, ज्ञेये आराजीयात मुतजिक्रा मद नं. 1 प्रार्थनापत्र में दर्ज भूमि के राजस्व रिकॉर्ड र्थी के पिता का नाम धौरीराम दर्ज है, जो कतई गलत है, इसलिये प्रार्थी के का नाम भूमि मुतजिक्रा मद नं0 1 प्रार्थनापत्र के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज राम के स्थानपर जौहरीराम राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करावाया जाना आवश्यक एवं संगत है।

प्रार्थी द्वारा दिनांक 25.01.2022 को [illegible] जानकारी के प्रार्थी के पिता का नाम जौहरीराम के स्थान पर धौरीराम राजस्व रिकॉर्ड में हो गया है। जिसे प्रार्थी ने दुरूस्त करवाने का एक प्रार्थनापत्र दिनांक 01.02. को श्रीमान तहसीलदार सूरौठ को दिया, जिन्होने प्रार्थी का प्रार्थनापत्र लेकर लिया, और कहा कि सक्षम न्यायालय में वाद / प्रार्थना पत्र दायर कर संशोधन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

...ाओ इसके पश्चात ही प्रार्थी के पिता का सही नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया ...वेगा। उक्त अशुद्धि से प्रार्थी के हक हकूक काफी प्रभावित हो रहे है, इसलिये ...र्थना पत्र हाजा दायर किया जा रहा है।

प्रार्थी के पिता का नाम जौहरीराम है, इसके अलावा गाँव में न तो कोई ...हरीराम नाम का अन्य व्यक्ति है, और ना ही कोई धौरीराम नाम का व्यक्ति है। ...र्थी के पिता को जौहरीराम व धौरीराम दोनो ही नामों से जाना व पहचाना जाता जबकि दस्तावेजी नाम जौहरीराम है। जो समस्त दस्तावेजात में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ...मान जमाबन्दी खसरा नम्बर 296 रकवा 0.95 है०, बाके ग्राम गुढापोल, तहसील ...रौठ, जिला करौली के राजस्व रिकॉर्ड में सायल के पिता का नाम धौरीराम के ...ान पर जौहरीराम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे

अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पेरोकार ...कार तहसीलदार सूरौठ द्वारा पत्रांक 355 दिनांक 19.07.2024 को जबाब पेश ...या जिससे अवगत कराया है कि उक्त प्रकरण में गिल्लोराम पुत्र धोरी राम व ...ल्लोराम पुत्र जौहरी राम दोनों ही एक ही व्यक्ति के नाम हैं। मुताबिक दसवीं की ...क तालिका व बोर्ड प्रमाण पत्र, पहचाना पत्र, राशनकार्ड व आधार कार्ड में ...ल्लोराम पुत्र जौहरी राम दर्ज है व विक्रय पत्र के समय आधार कार्ड में गिल्लोराम ...ा धोरीराम दर्ज था। जिस कारण से विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में ...ल्लोराम पुत्र धोरी राम दर्ज हो गया जबकि मुताबिक दस्तावेज व ग्रामीणों के ...ुसार सही नाम गिल्लोराम पुत्र जौहरी राम है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर ...ल्लोराम पुत्र धोरीराम के स्थान पर गिल्लोराम पुत्र जौहरीराम ...या जाना उचित है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी संवत 2072–75 ...ाता संख्या 163 वाके ग्राम गुढापोल तहसील सूरौठ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ...जस्थान का सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1870 का प्रमाण पत्र, पीपीओं की प्रतिलिपि, ...रिचय पत्र, आधार कार्ड पेश किये।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ उपस्थित। ...कील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस सुनी गई। ...कील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी ...ा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेराकार सरकार ...हसीलदार सूरौठ ने दौराने बहस में कहा कि विक्रय पत्र के समय आधार कार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गिल्लोराम पुत्र धोरीराम दर्ज था। जिस कारण से विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गिल्लोराम पुत्र धोरी राम दर्ज हो गया जबकि मुताबिक दस्तावेज व ग्रामीणों के अनुसार सही नाम गिल्लोराम पुत्र जौहरी राम है। संलग्न दस्तावेजों के आधार पर गिल्लोराम पुत्र धोरीराम के स्थान पर गिल्लोराम पुत्र जौहरीराम किया जाना उचित है। जिससे प्रार्थी का प्रा0 पत्र स्वीकार फरमाया जानें का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार सूरौठ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजी साक्ष्य में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2072–75 खाता संख्या 163 वाके ग्राम गुढापोल तहसील सूरौठ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 2010 का प्रमाण पत्र, पीपीओं की प्रतिलिपि, परिचय पत्र, आधार कार्ड है। प्रकरण में दस्तावेजी साक्ष्य राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार सूरौठ के जबाव का विवेचन करने पर पाया कि विक्रय पत्र के समय आधार कार्ड में गिल्लोराम पुत्र धोरीराम दर्ज था। जिस कारण से विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में गिल्लोराम पुत्र धोरी राम दर्ज हो गया जबकि मुताबिक दस्तावेज व ग्रामीणों के अनुसार सही नाम गिल्लोराम पुत्र जौहरी राम है। संलग्न दस्तावेजों एवं पेरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर गिल्लोराम पुत्र धोरीराम के स्थान पर गिल्लोराम पुत्र जौहरीराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी बाबत् आराजी खसरा न0 296 वाके ग्राम गुढापोल तहसील सूरौठ स्वीकार कर गिल्लोराम पुत्र धोरीराम के स्थान पर गिल्लोराम पुत्र जौहरीराम शुद्ध किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20-1-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:35:00 IST
Reason: SelfAttested

20/1/25

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)